

## प्रेसनोट दिनांक 14.06.2022

1. दिनांक 13.06.22 को वादी श्री राजकुमार पाण्डेय पुत्र रामबिहारी नि० शिवनगर कालोनी थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विश्वनाथ पुत्र अज्ञात नि० शिवनगर कालोनी थाना को०नगर अयोध्या। आदि 03 नगर व 04 व्यक्ति अन्य नाम पता अज्ञात अभि०गण द्वारा वादी को एक राय होकर जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 464/22 धारा 147, 323, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 13.06.22 को वादी उ०नि० श्री शीतला प्रसाद मिश्र थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सूरज तिवारी पुत्र पवन नि० गुलामी का पुरवा थाना तरबगंज गोण्डा। गिर० अभि० के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 283/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 13.06.22 को वादी श्री हरिओम पुत्र बलराम यादव नि० चांदपुर हरवंश थाना पूराकलन्दर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रोहित यादव पुत्र अज्ञात नि० गंजा थाना पूराकलन्दर अयोध्या। आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 284/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 13.06.22 को वादी श्री शमशेर बहादुर सिंह प्र०नि० रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. इमाम अली पुत्र भुलई 2.नूर आलम पुत्र इमाम अली नि०गण ग्राम कोला थाना रौनाही अयोध्यज्ञं 3. इन्तिखाब पुत्र मुबीन गिर० नि० चिरा मोहम्मदपुर थाना रौनाही अयोध्या। अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओ का वध व गो-तस्करी जैसे जघन्य अपराध कारित करना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 190/22 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 13.06.22 को वादी श्री राजू पुत्र रामदुलारे नि० सोनबरसा थाना का०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि दुधनाथ पुत्र बरौनी प्रसाद नि० सोनबरसा थाना का०बीकापुर अयोध्या। अभि० द्वारा वादी के पिता को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना का०बीकापुर में मु०अ०सं० 228/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 13.06.22 को वादी श्री विजय कुमार ओझा पुत्र सरयु प्रसाद नि० कौशलपुरी कालोनी थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मोनू ओझा पुत्र लाल बहादुर नि० मोहम्मदपुर थाना खण्डसा अयोध्या। अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना खण्डसा में मु०अ०सं० 135/22 धारा 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 13.06.22 को वादी श्री संदीप कुमार पुत्र गयाप्रसाद नि० पसैया थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संजय पुत्र गयाप्रसाद नि० पसैया थाना को०रुदौली अयोध्या। आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल क धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 244/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 13.06.22 को वादी उ०नि० मो० फरीदे खान थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सोनू गुप्ता पुत्र काशी राम नि० रसूलपुर नेवादा थाना मवई अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 154/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।